फाइल सं. ओ पी- 14/9/2020 .डी डी (ओजी)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

प्रश्न 1: आपरेशन ग्रीन्स स्कीम क्या है ?

उत्तरः खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा टमाटर,प्याज , और आलू (टीओपी) के समेकित विकास के लिए मूल्य श्रृंखला कुल बजटीय आवंटन रु 500 करोड़ के साथ केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है ।

स्कीम के दिशानिर्देश के अनुसार स्कीम में **दो तरह की रणनीति** है जो निम्नानुसार है:-

(I) लघु अवधि: मूल्य स्थिरिकरण उपाय (परिवहन एवं भडारण- 50% सब्सिडी):

फसल के समय आधिक्य की स्थिति में अधिशेष उत्पादन की निकासी उत्पादक क्षेत्र से उपभोक्ता केन्द्रों तक शुरू की जाएगी ।

(II) दीर्घ अवधि: एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना (अनुदान@50% { एफपीओस और एससी/एसटी के लिए 70%} पात्र परियोजना लागत जो अधिकतम 50 करोड़ रुपए के अधीन है):

प्रांरम्भिक परियोजनाएं प्रत्येक टीओपी फसलों के लिए चयनित 3 से 4 समूहों में मुख्य उत्पादक राज्यों में समेकित मूल्य श्रृंखला के विकास हेतु कार्यान्वित की जाएगी । कृषको को उत्पादक समूहों में एफपीओ के अन्तर्गत उत्पादन, कटाई के बाद की गतिविधियों, मूल्य संवर्धन और टीओपी उत्पाद के विपरण के प्रबंधन के लिए संगठित किया जाएगा ।

एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के घटक

(क)एफ पी ओस गठन और क्षमता निर्माण ।
(ख)गुणवत्ता उत्पादन ।
(ग) कटाई के बाद प्रसंस्करण सुविधाएं- फार्म गेट पर ।
(घ) कटाई के बाद प्रसंस्करण सुविधाएं- मुख्य प्रसंस्करण स्थल पर ।
(ङ) कृषि रसद ।
(च) विपरण/ उपभोग बिन्दु

समेकित मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं को स्थापित करने के प्रस्ताव के प्रस्ततु करने की अंतिम तिथि को 30.09.2020 तक बढ़ा दिया गया है ।

प्रश्न 2: इसे टीओपी से टोटल तक क्यों बढाया गया ?

उत्तरः कोविड 19 के कारण लागू किए गए प्रतिबन्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई और कृषक अपने उत्पाद को बाजार में बेचने मैं सक्षम नहीं है । माननीय वित्त मंत्री ने 15.05.2020 को अर्थव्यवस्था के पुन:प्रवर्तन के लिए तृतीय उपाय के रूप में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के भाग के रूप में ऑपरेशन ग्रीन को टमाटर प्याज और आलू (टाप) से सभी फल और सब्जियाँ

(टोटल) तक विस्तारित करने की घोषणा की जिससे, 50 प्रतिशत सब्सिडी परिवहन और भंडारण को प्रदान की जा सके ।

प्रश्न 3 स्कीम के अन्तर्गत किसाल कैसे लाभान्वित होंगे ?

उत्तरः व्यक्तिगत किसान या किसानों का समूह जो स्कीम के आवश्यक मानदण्ड को पूरा करते है सीधे स्कीम के अन्तर्गत पंजीकरण कर सकते है और आनलाइन दावा प्रस्तुत करेगें परिवहन और /या/ भडारण/पात्र फलों और सब्जियों के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार बाहर ले जाने के बाद करेगें । लघु कषक जो आवश्यक मानदण्ड पूरा नहीं करते है वे सब्सिडी के लिए आवेदन कृषकों के समूह, एफपीओ, को ओपरेटिव और राज्य विपरण फेडरेशन/ बोर्ड के जरिए कर सकते है ।

भडारण की सब्सिडी के साथ कृषक अपने उत्पाद का भंडारण कुछ महीनों के लिए संकट बिक्री से बचने के लिए कर सकते है । इसी प्रकार यदि वे ए पी एम सी/ मंण्डियों में ब्रिकी करवाने में सक्षम नही हो , खरीदार जैसे प्रसंस्करणकर्ता, खुदरा विक्रेता, निर्यातकर्ता इत्यादि सीधे उनके पास आएगें और उनकी फसलों को खरीदेगे जिससे स्कीम के अन्तर्गत सब्सिडी प्राप्त कर सके ।

प्रश्न 4: खाद्य प्रसंस्करणकर्ता स्कीम के अन्तर्गत कैसे लाभान्वित होगें ?

उत्तरः खाद्य प्रसंस्करणकर्ता को एक पात्र अस्तित्व के रूप में स्कीम के अन्तर्गत हस्तक्षेप करने के लिए नामित है । तदापि उनके लिए फसलों की वसूली के लिए अर्हक मात्रा जो सब्सिडी के उद्देश्य के लिए है को उनके प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापित क्षमता के संदर्भ में रखी जाएगी ।

परिवहन पर और /या कच्चे माल के भंडारण पर सब्सिडी खाद्य प्रसंस्करण की लागत को कम करेगी जिससे उनके उत्पाद बाजार में प्रतिर्स्पधी बनेंगे ।

प्रश्न 5: स्कीम के अंतर्गत पात्र संस्थाएं कौन है ?

उत्तरः खाद्य प्रसंस्करण, एफपीओ/एफपीसी, कोओपरेटिव सोसायटियां, व्यक्तिगत किसान, किसानों का समूह, लाइसेंसधारी कमीशन एजेंट, नियतिक राज्य विपणन/कॉओपरेटिव फेडरेशन, खुदरा विक्रेता इत्यादि जो फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण/विपणन में संलग्न है ।

प्रश्न 6: क्या व्यापारियों के स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी का दावा करने के लिए पात्र आवेदक के रूप में अनुमत किया गया है ?

उत्तरः नहीं, स्कीम दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से प्राप्त संस्थाओं के नाम उपलब्ध कराते हैं जिसमें व्यापारी शामिल नहीं है । तदापि लाइसेंसधारी कमीशन एजेंट, नियतिक और खुदरा विक्रेता स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी दावा करने के लिए पात्र संस्थाएं है ।

प्रश्न 7: स्कीम के अंतर्गत व्यक्ति कैसे आवेदन कर सकते हैं ?

उत्तरः स्कीम के अंतर्गत व्यक्ति मंत्रालय की वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं । सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें उस पृष्ठ की ओर इंगित किया जाएगा । जहां महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे

स्कीम दिशानिर्देश, पात्र फसलों की सूची, उत्पादन क्लस्टर्स और ट्रिगर मूल्य और ऑनलाइन आवेदन टेम्पलेट है । स्कीम के आवश्यक मानदंडों को पूरा करने पर संतुष्ट होने पर वे सीधे परिवहन और या भंडारण गतिविधि को मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना आरंभ कर सकते हैं और मंत्रालय के सब्सिडी को जारी करने के लिए ऑनलाइन दावा प्रस्तुत कर सकते हैं ।

प्रश्न 8: फसल की न्यूनतम मात्रा जो खरीद और परिवहन/भंडारण की जानी है कितनी है ?

उत्तर प्रति आवेदक (कई में एक या अधिक अधिसूचित फसलें निहित होती हैं) न्यूनतम मात्रा जो खरीद और परिवहन/भंडारण की जानी है निम्नानुसार होगीः

(क) 50 एमटी व्यैक्तिक किसानों के लिए

(ख) 100 एमटी एफपीओ/एफपीसी, सरकारी, किसानों के समूह के लिए

(ग) 500 एमटी खाद्य प्रसंस्करण, नियतिक, लाइसेंसधारी कमीशन एजेंट के लिए

(घ) 1000 एमटी खुदरा बिक्रेताओं, राज्य विपणन/सहकारी फेडरेशन के लिए

प्रश्न 9: उत्पादन से उपभोक्ता केंद्रों तक परिवहन की न्यूनतम दूरी कितनी है ?

उत्तरः भारत में अधिसूचित उत्पादन समूहों से बिक्री बिन्दु, प्रसंस्करण संयंत्र, रिटेल आउटलेट या बन्दरगाहों/हवाई अड्डा/आईसीडी/सीएफएस जैसा भी मामला हो (सड़क, रेलवे या वायु) से न्यूनतम दूरी

(क) 100 किमी. खाद्य प्रसंस्करण, एफपीओ/एफपीसी, सहकारी, व्यैक्तिक/किसानों का समूह, लाइसेंसधारी कमीशन ऐजेंट, निर्यातक के लिए

(ख) 250 किमी. खुदरा विक्रेताओं, राज्य विपरण कॉरपोरेटिव फेडरेशन के लिए ।

प्रश्न 10: स्कीम के अन्तर्गत हस्तक्षेप के लिए ट्रिगर मूल्य क्या है ?

उत्तरः अधिसूचित उत्पादन समूहों में मूल्य निम्नलिखित कोई एक शर्त पूरा करती है ।

(क) फसल कटाई के समय पूर्व के 3 वर्षों के औसत बाजार मूल्य से मूल्य कम हो जाते है ।
(ख) फसल कटाई के समय पिछले वर्ष बाजार मूल्य की तुलना में मूल्य 15% से अधिक कम हो जाते है ।
(ग) राज्य/ केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निर्धारित मूल्यों से वसूली के लिए बैचमार्क मूल्य से कम हो जाते है ।

ट्रिगर मूल्य इन तीन मूल्यों से उच्चतर है और यह वह मूल्य है या नीचे है जिस पर फसल को उन उत्पादन समूहों में बेचा जा रहा है । वास्तविक खरीद मूल्य सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिए ट्रिगर मूल्य के बराबर या कम होना चाहिए ।

पात्र फसल, उत्पादन समूह और ट्रिगर मूल्य मंत्रालय की वेबसाइट http://mofpi.nic.in/Aatmanirbhar-Bharat/Operation-Greens- % 28TOP to-Total%29/list –of-crops-clusters-triggers-prices पर उपलब्ध है ।

प्रश्न 11: प्रमुख फल और सब्जिया कौन सी है जो शामिल किए गए है ?

उत्तरः फल–आम, केला, अमरुद, किवी, लीची, पपीता, मुसम्मी, संतरा, किन्नू, लाइम, लेमन, पाइनेप्पल, अनार, कटहल, सेब, अखरोट, आंवला, पैशन फ्रूट, और पीयर

सब्जियां- फेन्च बीन्स, बिटर गार्ड, बैगन, मिर्च, गाजर,गोभी, मिर्च (हरी) ओकरा, खीरा, मटर, लहसुन, प्याज , आलू और टमाटर

प्रश्न 12: पात्र संस्थाओं द्वारा किससे फसले खरीदी जानी चाहिए ?

उत्तरः खरीद सीधे किसानों, एफपीओ/एफपीसी, सहकारी सोसाइटी या लाइसेन्सधारी कमीशन ऐजेन्ट से की जानी चाहिए और भुगतान केवल बैंकिग चैनल के जरिए होना चाहिए ।

प्रश्न 13: क्या फसल को एग्रीगेटर्स/स्थानीय व्यापारियों से खरीदा जा सकता है ?

उत्तरः नहीं, खरीद सीधे किसानों, एफपीओ/ एफपीसी, सहकारी सोसाइटी, या लाइसेन्सधारी कमीशन ऐजेन्ट से की जानी चाहिए और भुगतान केवल बैंकिग चैनल के जरिए होना चाहिए ।

प्रश्न 14: क्या भुगतान नगद में खरीद, परिवहन/ भंडारण के लिए स्वीकार्य है ?

उत्तरः नहीं, खरीद, परिवहन और भंडारण के लिए भुगतान केवल बैंकिग चैनल के जरिए होना चाहिए ।

प्रश्न 15: फसलों का भंडारण कहां कर सकते है ?

उत्तरः फसलों को किसी भी उपयुक्त भंडार में जैसे लाइसेन्स वैयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज, अधिसूचित उत्पादन समूहों में स्थित, उपभोग केन्द्रों या उपभोग केन्द्रों के रास्ते में किसी स्थान पर भंडारण किया जा सकता है ।

प्रश्न16: क्या 11 जून से पूर्व की गई खरीदे अनुमत है ?

उत्तरः नहीं, सब्सिडी का दावा करने के लिए पोटर्ल पर पंजीकरण आज्ञापक है जिसे 11जनू, 2020 से शुरू किया गया है ।

प्रश्न 17: क्या इसे 6 महीनों के बाद विस्तारित किया जाए ?

उत्तरः इसके विस्तारण का फैसला स्कीम के प्रभाव के मूल्यांकन पर आधारित होगा ।

प्रश्न18: सब्सिडी की अधिकतम राशि कितनी है ?

उत्तरः प्रति आवेदक अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी राशि 1 करोड़ रुपए पूरे 6 महीनों के दौरान होगी ।

प्रश्न 19: क्या सब्सिडी राशि का दावा करने के लिए मूल स्थान की तौल की रसीद का प्रस्तुतीकरण स्वीकार्य है ?

उत्तरः तौल की रसीद दोनों स्थानों अर्थात मूल एवं गतंव्य के लिए आज्ञापक है । तौल की रसीद की अनुउपलब्धता में आवदेक मूल एवं गतंव्य स्थान के समीप उत्पन्न रसीद प्रस्तुत कर सकता है ।

प्रश्न 20: क्या मूल स्थान पर जीओटेग फोटोग्राफ की प्रस्तुती सब्सिडी दावे के लिए स्वीकार्य है ?

उत्तरः जीओटेग फोटोग्राफ दोनों स्थानों अर्थात मूल एवं गतंव्य के लिए आज्ञापक है । मोबाइल नेटवर्क समस्या के मामले में आवदेक मूल एवं गतंव्य स्थान के समीप उत्पन्न जीओटेग फोटोग्राफ प्रस्तुत कर सकता है ।

प्रश्न 21: क्या फसलों की खरीद के तरीके के रूप में अनुबंध खेती से सोर्सिंग की अनुमति है ?

उत्तर: हां, फसलों की खरीद अनुबंध खेती के जरिए की जा सकती है ।

प्रश्न 22: क्या ट्रांसपोर्टर को अंशिक अदायगी और ट्रक मालिक को अंशिक अदायगी परिवहन प्रभार के रूप में स्कीम के अंतर्गत स्वीकार्य है ?

उत्तरः हां, यदि परिवहन बीजक दोनों अर्थात ट्रांसपोर्टर और ट्रांसपोर्ट मालिक के बीच संबंध स्थापित कर सकता है और दोनों भुगतान बैंकिग चैनल के जरिए हुए हो ।

प्रश्न 23: क्या फसलों को पकाने वाले चैम्बर में भंडारण जैसे केला/आम इत्यादि को सब्सिडी के उद्देश्य से कोल्ड स्टोरेज में भंडारण माना जाएगा ?

उत्तरः सब्सिडी केवल परिवहन एवं भंडारण पर स्वीकार्य है। किसी प्रासंगिक या अनुषंगी गतिविधियों जैसे चढ़ाना, उतरना प्री-कूलिंग पकाने वाली गतिविधियां इत्यादि पर स्वीकार्य नहीं है।

प्रश्न 24: क्या कर जैसे जीएसटी और / या अन्य कर जो राज्य/ केन्द्रीय स्तर पर लगाए गए है सब्सिडी के लिए स्वीकार्य है ?

उत्तरः नहीं, कर जैसे जीएसटी और/ या अन्य कर जो राज्य/ केन्द्रीय स्तर पर लगाए गए है सब्सिडी के उद्देश्य के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

प्रश्न 25: क्या नई फसल और /या नए उत्पन्न समूह को सूची में जोड़ा जा सकता है ?

उत्तरः हां, संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश के साथ उत्पन्न और पिछले तीन वर्षों के अवधि के दौरान फसलों के उच्चतम औसत मूल्य डाटा का विवरण पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रश्न 26: क्या फास्ट टैग खाता विवरण को टोल टैक्स रसीदों की जगह प्रस्तुत किया जा सकता है ?

उत्तरः हां, टोल प्लॉजा में फास्ट टैग सुविधा होने के कारण, फास्ट टैग खाता विवरण को टोल टैक्स रसीदों के स्थान पर प्रस्तुत किया जा सकता है ।

प्रश्न 27: क्या परिवहन फार्म गेट से क्लेक्शन सेंटर/पैक हाउस (समूह के भीतर/समूह के बाहर), और उसके बाद उपभोक्ता सेंटर/बाजार तक स्कीम के अंतर्गत परिवहन सब्सिडी पाने के लिए पात्र हैं ?

उत्तरः परिवहन, फार्म गेट से क्लेक्शन सेंटर/पैक हाउस तक विचार किया जा सकता है चाहे उनकी स्थिति समूह के भीतर/समूह के बाहर हो । यदि वह पृथक रूप से न्यूनतम दूरी मानदंड को भी पूरा करती है ।

प्रश्न 28: क्या ताजा प्याज का कंटेनर से परिवहन जो कि पोर्ट पर लोड किया गया है को रीफर वाहन द्वारा परिवहन माना जाएगा ?

उत्तरः नहीं, ताजा प्याज की परिवहन दर को सामान्य ट्रक के लिए परिवहन प्रभार तक सीमित किया जाएगा ।

प्रश्न 29: क्या आवेदक रजिस्ट्रेशन से पूर्व परंतु स्कीम अर्थात 11.06.2020 की अधिसूचना के बाद गतिविधियां शुरू कर सकता है?

उत्तर: स्कीम के अंतर्गत पोर्टल पर पूर्व रजिस्ट्रेशन आवश्यक है तदापि यह उसी आवेदक कोटि नामत व्यैक्तिक किसानों, किसानों के समूह, एफपीओ, कॉपरेटिव्स और राज्य विपरण बोर्ड हेतु विचार किया जा सकता है ।

प्रश्न 30: क्या आवश्यक समर्थक दस्तावेजों को न्यूनतम किया जाना चाहिए विशेषतः तौलने की रसीद और गंतव्य स्थान पर जीओ टैग फोटो की आवश्यकता को हटा दिया जाए ?

उत्तरः जीओ टैग फोटो और तौलने की रसीद आज्ञापक दस्तावेज हैं । तौलने की रसीद की अनुपलब्धता के मामले में आवेदक तौलने की रसीद मूल और गंतव्य स्थान के समीप उत्पन्न की गई तौलने की रसीद प्रस्तुत कर सकता है । इसी प्रकार मोबाइल नेटवर्क समस्या के मामले में मूल और गंतव्य स्थान के समीप उत्पन्न जीओ टैग फोटो प्रस्तुत कर सकता है ।

प्रश्न 31: क्या व्यैक्तिक किसानों द्वारा उत्पादन समूहों में उनके फार्म गेट से मंडियों तक परिवहन जो न्यूनतम दूरी 100 किलोमीटर की आवश्यकता पूरी करता है, सब्सिडी के लिए पात्र हैं ?

उत्तरः समूह के भीतर परिवहन के पात्र हैं बशर्ते सभी कोटियों के आवेदकों द्वारा न्यूनतम दूरी मानदंड को पूरा किया जाता है ।

प्रश्न 32: क्या एकल रेलवे रसीद जो कि कुछ किसानों द्वारा एकसाथ फसलों के परिवहन के बदले जारी की जा रही है को सब्सिडी दावा हेतु समर्थक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है?

उत्तरः सामान्यतः 40 वैगनों का संपूर्ण रैक एक पक्षकार द्वारा बुक किया जाता है जो कि विभिन्न परिवहन पक्षकारों द्वारा फसलों का योग होता है । रेलवे केवल भेजने वाले का एक नाम अनुमत करता है इसलिए रेलवे रसीद में भेजने वाले का एक नाम ही रहता है । ऐसे मामलों में हम निम्नलिखित समर्थक दस्तावेजों के साथ दावा स्वीकार कर सकते हैं:

(i) आवेदक और पारेषण के बीच समझौता/एमओए आरआर के अनुसार फसल विवरण, अनुपातिक भुगतान रेलवे माल भाड़ा, बैंक डिटेल का विवरण;
(ii) लेनदेन वाउचर-आरआर के अनुसार पारेषक द्वारा आवेदक को अनुपातिक माल भाड़ा राशि के भुगतान के लिए की गई मांग;
(iii) आरआर के अनुसार पारेषक को भुगतान दर्शाने वाला बैंक विवरण;
(iv) आरआर की समयक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित कॉपी (पारेषक और आवेदक दोनों द्वारा हस्ताक्षरित)

प्रश्न 33: क्या प्रत्येक किसान जिनसे फसल की खरीद की गई है का नाम और आधार संख्या को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में शामिल किया जाना है ?

उत्तरः आवेदक मुख्य 10 किसानों का विवरण को एंटर कर सकता है और किसानों की सूची को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में पीडीएफ फाइल के रूप में अपलोड कर सकता है ।

*****